

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

इब्रार अहमद खाँ मा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचंद पटेल पथ,

दिनांक-.....

विषय:- बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान गैर वेतन मद में कुल उपबंधित राशि ₹120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख रुपये) में से द्वितीय किस्त के रूप में राशि ₹39.00 लाख (उनचालिस लाख रुपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

- यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष 2250 अन्य सामाजिक सेवाये-उप मुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-800 अन्य व्यय- मांग संख्या-30-उपशीर्ष-0002 बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को अनुदान विस्तृत शीर्ष-31-सहायक अनुदान, विषय शीर्ष-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद विपत्र कोड 30-2250008000002 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
2. बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्रथम किस्त के रूप में राशि ₹39.00 लाख (उनचालिस लाख रुपये) मात्र उपलब्ध कराया जा चुका है।
 3. बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में द्वितीय किस्त के रूप में राशि ₹39.00 लाख (उनचालिस लाख रुपये) मात्र उपलब्ध कराने हेतु निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
 4. वित्त विभाग के परामर्शानुसार बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी परिसम्पत्तियों का बेहतर आर्थिक प्रबंधन कर आय बढ़ाने के लिए योजना तैयार करे तथा बिना संसाधन के अपने व्यय या दायित्वों को न बढ़ाये और दायित्वों को अपनी आय तक सीमित रखें।
 5. अनुदान की राशि ₹39.00 लाख (उनचालिस लाख रुपये) मात्र की निकासी BTC-42 के माध्यम से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में की जायेगी। उक्त राशि के निकासी गैर वेतन मद के रूप में प्राप्त अनुदानित राशि का संधारण Bihar State Sunni waqf Board, Patna के PL Account No.- PTSPLA029, Ledger ID. No.-23603 में CFMS के माध्यम से अंतरित कराया जायेगा।

6. सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना अनुदान की राशि के व्यय का अंकक्षण कराकर अंकक्षण प्रतिवेदन सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2063/वि० दिनांक-11.03.2016 एवं 235, दिनांक-01.04.2025 के आलोक में राशि की निकासी की जा रही है।
8. वित्त विभाग के पत्रांक-7355/वि० दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
9. उपलब्ध करायी जा रही अनुदान की राशि का व्यय गैर वेतनमद में ही सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाना है।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निकासी के दौरान वित्त नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
11. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-अ०सं०क० 24-03/2014 (खण्ड-1).....पटना-01, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-अ०सं०क० 24-03/2014 (खण्ड-1).....पटना-01, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/वित्त विभाग (वित्त शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-अ०सं०क० 24-03/2014 (खण्ड-1).....पटना-01, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (दो प्रतियों में)/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, 34 हार्डिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-अ०सं०क० 24-03/2014 (खण्ड-1).....पटना-01, दिनांक-01/09/2016
प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव